

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/132511/FIR/FIROZABAD/1615/CFO

दिनांक: 25-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SRS MEMORIAL INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **MOHAMMADPUR, SARAI JAVAI, URMURA ROAD, SHIKOHABAD** तहसील - **SHIKOHABAD** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	7.90 mt.

तथा प्लॉट एरिया **6837.23 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SRS MEMORIAL INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन स्वामी/अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **29-09-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JAYVIR SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-09-2024** से **30-09-2027** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : AS PER FSSO REPORT स्कूल भवन के पहुँच मार्ग व सैटबैक के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक-07.01.2022 के अनुपालन में छूट प्रदान की जाती है। प्रत्येक 03 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुये रिकार्ड अग्निशमन विभाग को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसकी जिम्मेदारी भवन स्वामी / प्रबंधक की होगी। निरीक्षण के दौरान स्कूल भवन के भूतल, प्रथम तल का प्रयोग शैक्षिक कार्य हेतु किया जा रहा है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल SRS MEMORIAL INTERNATIONAL SCHOOL के लिये ही निर्गत है। भवन के भूतल, प्रथम तल के अलावा अन्य किसी ढांचागत निर्माण के पूर्व अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अकार्यशील होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जायें।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

निर्गत किये जाने का दिनांक : **30-09-2024**
स्थान : **FIROZABAD**

SATYENDRA PRASAD PANDEY

A31E6C4964D3209AC40D676A58ECFB565002BE76

30-09-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by using the UID at departmental portal of UP Fire Service.

